प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 जनवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र श्री सुफियान, निवासी जनपद-इलाहाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-25377/प्रो0अनु0(2)-2024/(बैठक दिनांक 13.08.2024),दि016.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र श्री सुफियान, 106/01 बख्तियारी पुराना कटरा,थाना-कर्नलगंज, जनपद-इलाहाबाद का निवासी है। दिनांक 04.12.2005 को बन्दी द्वारा सम्पत्ति के विवाद व पुरानी रंजिश के कारण 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर वादिनी की सास श्रीमती परवीन अख्तर की हत्या कर दी व 01 अन्य व्यक्ति को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-957/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, इलाहाबाद के आदेश दि0 27.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश 03-08-2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दि0 09.07.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष 07 माह 02 दिन तथा 23 वर्ष, 03 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी की आयु 39 वर्ष(रजि0नं0-1 के अनुसार) है।

3- पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त होने, जेल में आगे और निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक एवं जेलदण्ड-07 हैं। दिनांक 04.12.2005 को बंदी द्वारा सम्पत्ति के विवाद को लेकर व पुरानी रंजिश में अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर वादिनी की सास श्रीमती परवीन अख्तर की हत्या करने व 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने, पीठासीन अधिकारी के अभिमत दिनांक 02.07.2024 द्वारा जेल में रहते हुये बंदी द्वारा विभिन्न तिथियों पर निरन्तर अपराध किये किये जाने एवं रिहाई के उपरान्त समाज में कठिन परिस्थितियों उत्पन्न किए जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहा किया जाना न्यायोचित नहीं होने एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आदिल उर्फ सिरान पुत्र सुफियान को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान (बन्दी सं0-26607) पुत्र श्री सुफियान, निवासी जनपद-इलाहाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2025/1339(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, लखनऊ को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन सं0-4715/2024 आदिल उर्फ सिरान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04-07-2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।